OFFICE OF THE DISTRICT SESSIONS JUDGE, BILASPUR (C.G.)

:: O R D E R ::

NO. Q / I-11-1/2003

BILASPUR, DATED: 27/12/2023

1. In supersession of earlier work distribution orders I, Ramashankar Prasad, District & Sessions Judge, Bilaspur, in exercise of power conferred by virtue of Sec.15 and 21 (3) (4) of the C.G. Civil Court Act, 1958 & section 10 (3) of Cr. P.C. I hereby distribute the Civil, Claim, Special Cases, and Sessions Trials. Other Criminal Works and applications, except Magisterial Jurisdiction among st the Courts/Tribunals of Bilaspur Civil District/ Sessions Division in the following manner. The Distribution Memo shall come into force from 01/01/2024 however, it shall not affect the pending civil or criminal works.

(मैं रमाशंकर प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, छ.ग. सिविल जिला बिलासपुर में न्यायाधीशों के मध्य न्यायिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए छ.ग. सिविल न्यायालय अधिनियम 1998 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10 (3) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत एतद् द्वारा बिलासपुर, सिविल जिला-सत्र खण्ड के न्यायालयों और अधिकरणों के मध्य सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, विशेष प्रकरणों, सत्र प्रकरणों, अन्य सिविल एवं दाण्डिक कार्य एवं आवेदनों (न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) का निम्नानुसार कार्य विभाजन जारी करता हूँ जो दिनांक 01 जनवरी 2024 से प्रभावशील होगा तथा लंबित सिविल एवं दाण्डिक मामलों पर इसका प्रभाव नहीं होगा –

S.N.	Name of Court	Area of Exercise of Jurisdiction	Kind of cases	Remarks
1	2	3	4	5
1.	District & Sessions Judge & M.A.C.T.	Sessions Division Bilaspur (Except Sub- Division Pendra-	1. Sessions Trial, (Except triable by Special Court), Criminal Appeals & Criminal Revisions. सत्र प्रकरण, (विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर), आपराधिक अपील और आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।	
	Bilaspur And Commercial Appellate Court (District Judge Level) And Motor Accident	Road)	 Cases under National Investigation Agency, 2008:- (1) as per gazette notification no. S.O. 4257(E), dated 25th November, 2019, U/s. 11 of N.I.A. Act, 2008 Civil District Bilaspur, Mungeli, Janjgir-Champa, Korba, Raigarh, Jashpur, Surguja At Ambikapur, Balrampur-Ramanujganj, Surajpur, Korea at Baikunthpur of State of Chhattisgarh. (2) As per notification F.No. 8542/2796/XXI-B/C.G./2015, dated 01.09.2015, U/s. 22 of N.I.A. 	
	Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Civil District Bilaspur	Act, 2008, All Civil Districts of Chhattisgarh except Civil District— Uttar Bastar Kanker, Bastar At Jagdalpur, Daksin Bastar Dentewada, Kondagaon, Sukma & Bijapur. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008 के मामले:— (राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. के अनुसार। 4257(ई), दिनांक 25 नवंबर, 2019, यू/एस. 11 एन.आई.ए. अधिनियम, 2008 छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल जिला बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर—चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, बलरामपुर—रामानुजगंज, सूरजपुर,	

बिलासपुर।

- कोरिया, बैकुंठपुर।) एवं अधिसूचना के अनुसार एफ.नं. 8542/ 2796/ XXI-B/ C.G./2015, दिनांक 01.09.2015, U/s. 22 एन.आई.ए. अधिनियम, 2008, सिविल जिले को छोड़कर छत्तीसगढ़ के सभी सिविल जिले-उत्तर बस्तर कांकेर, बस्तर जगदलपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर।
- 3. Cases of the Protection of Human Right Act, 1993. (As per Notification No. F/D-329/ 1496/ 21-B/08, Dated 18.02.2008).

 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के मामले। (अधिसूचना संख्या एफ/डी-329/1496/21-बी/08, दिनांक 18.02.2008 के अनुसार)।
- 4. Appeals under the Food Safety Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006) (As per Notification No. F-25-8/2011/IX/55, dated 9th October 2017) Civil District Bilaspur as Food Safety Appellate Tribunal.

 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 (क्रमांक 34 सन् 2006) के अंतर्गत अपील (अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-8/2011/IX/55, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 के अनुसार) खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में सिविल जिला
- 5. The Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005. (As per Notification No. 9742/3446/XXI-B/2015, Raipur dated 09/10/2015). छत्तीसगढ़ जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005। (अधिसूचना क्रमांक 9742/ 3446/ XXI-B/2015, रायपुर दिनांक 09/10/2015 के अनुसार)।
- 6. Cases Under Section Sub Section (1) of 36-AB of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 Related Adulterated Drugs and spurious Drugs or other Offences. (As per C.G. Govt. Law & Legislative Department, Mantralaya, Naya Raipur Notification F.No./134/XXI-B/C.G./2016 No. 12/01/2016). औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 36-एबी की धारा उपधारा (1) के तहत मिलावटी दवाओं और नकली दवाओं या अन्य अपराधों से संबंधित मामले। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर अधिसूचना क्रमांक एफ.नं./134/XXI-बी/सी.जी./2016 दिनांक 12/01/2016 के अनुसार)।
- Cases under The Coal Bearing Areas (acquisition And Development Act, 1957).
 कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास अधिनियम, 1957) के तहत मामले।

- 8. Cases under Securities and Exchange Board of 1992. The Securities Contract India Act, (Regulations) Act, 1956, The Depositories Act, 1996 (As per notification no. S.O. 6033(E) New Delhi dated 04th December 2018). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभृति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के तहत मामले (अधिसूचना संख्या एस.ओ. 6033 (ई) नई दिल्ली दिनांक 04 दिसंबर 2018 के अनुसार)।
- 9. Applications for transfer of Criminal & Civil Cases U/S 408,409 Cr.P.C. & 24 C.P.C. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 408,409 के तहत आपराधिक और धारा 24 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अंतर्गत मामलों के अंतरण के लिए।
- 10. Bail petitions U/s 438 and 439 Cr.P.C. (except Jurisdiction given to A.S.J., Pendra Road & Special Judge (Atrocities), Bilaspur. सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत जमानत याचिकाएं। (ए.एस.जे., पेंड्रा रोड और विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), बिलासपुर को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोड़कर।
- 11. All Civil Suits, Civil Appeals, Misc. Civil Appeals, MJC. समस्त व्यवहार प्रकृति के वाद, सिविल अपील, विविध सिविल अपील एवं उससे संबंधित विविध कार्यवाही।
- 12. All Motor Vehicle Accident Claims. समस्त मोटर वाहन दुर्घटना दावे।
- 13. All Claim Cases Under Fatal Accident Act. 1855 cases (except jurisdiction given to Addl. District Judge, Pendra Road). घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत सभी दावा मामले। 1855 मामले (अपर जिला न्यायाधीश, पेंड्रा रोड को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।
- 14. All Cases under the Co-Operative Societies Act. सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत रुपये से ऊपर के सभी मामले।
- 15. All Cases under the Public Trust Act, 1961. सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1961 के तहत सभी मामले।
- 16. All Cases under the Trade Mark Act, 1999 and Copyright Act, 1957.
 ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत सभी मामले।

- 17. All Cases under the Company Act, 2013 triable by District Judge. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी मामले जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं।
- 18. All Cases under the State Financial Corporation Act, 1951. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत सभी मामले।
- 19. All Appeals under the C.G. Municipal Corporation Act. सी.जी. के अंतर्गत सभी अपीलें नगर निगम अधिनियम.
- 20. The Rights of Person with Disabilities Act 2016 (No.49 of 2016) As per C.G .Govt. Law and Legislative Affairs Deptt. Mantralaya Mahanadi Bhawan, Naya Raipur Notification No. 10059/ 2991/ XXI-B/C.G./2018 Naya Raipur Dated 9 Oct. 2018. (Guardianship for person with disability like physical, mental, intellectual or sensory impairment u/s. 14 of Rights Of Person With Disabilities) Act 2016) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का क्रमांक 49) छ.ग. शासन के अनुसार। विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अधिसूचना क्रमांक 10059/ 2991/ XXI-B/C.G./2018 नया रायपुर दिनांक ९ अक्टूबर २०१८। (जिसमें धारा १४ के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धीक या संवेदी हानि वाले व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति के संरक्षक की नियुक्ति भी सम्मिलित है।)
- 21-Suit under the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and specific Relief (Amendment) Act, 2018 in respect of contracts relating to infrastructure projects Above Rs 10 Lacs.
 10 लाख रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों के संबंध में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) और विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत मुकदमा।
- 22. All reference under Land Acquisition
 Act, 1894, whose jurisdiction not given to
 tribunal of Land Acquisition, Rehabilitation
 and re-establishment.
 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत सभी संदर्भित
 मामले जिनका क्षेत्राधिकार, भूमि अर्जन, पुनर्वास और
 पुर्व्यवथापन प्राधिकरण को नहीं दिया गया है।
- 23. Cases under Mental Health Act. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत मामले।
- 24. All cases under Provincial Insolvency Act, 1920. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत सभी मामले।

			
		25. Any other work entrusted by the District. & Sessions Judge, Bilaspur. जिले एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।	
		26. All cases under Guardian & Wards Act 1890 in property cases (Except Family Court Matters). संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अवयस्क के संपत्ति से संबंधित मामले (परिवार न्यायालय के मामलों को छोड़कर)।	
		27. Commercial appellate court (district judge level), cases arising in the civil districts— Bilaspur, Janjgir—Champa, Korba And Mungeli.(Notification no. F.No. 1439/ 3830/ XXI—B/ C.G./23, Naya Raipur dtd. 20 th December 2023) बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा एवं मुंगेली जिला से उत्पन्न होने वाले समस्त वाणिज्यिक अपील ।	
		28. All Civil & Criminal Cases not assigned to any other Court under this Distribution Memo. इस वितरण ज्ञापन के तहत सभी सिविल और आपराधिक मामले किसी अन्य न्यायालय को नहीं सौंपे गए हैं।	
2. Addl. District & Sessions Judge (F.T.C.),& Special Judge (Atrocities (Addl. Charge Bilaspur	1	Vacant (रि क् त)	
3. Special Judge (Atrocity) Bilaspur (Additional	Sessions Division, Bilaspur	 Special Cases under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989. एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत विशेष मामले। 	
Charge given to ADJ (F.T.C. Bilaspur)),	2. All Sessions Trial under Rape Cases triable by Special Judge (As per Registry Memo No. 1009/II-15-2/2012 Bilaspur Dated 08/02/2013) with Connected Misc. Cr. Cases and Bail Application (except S.C./S.T. Civil District Bilaspur and Addl. District & Sessions Judge Pendra-road). विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय बलात्कार के मामलों के तहत सभी सत्र प्रकरण (रजिस्ट्री मेमो नंबर 1009/II-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक 08/02/2013 के अनुसार) के साथ जुड़े हुए विविध प्रकरण एवं जमानत	
1 1	1		I

		Civil District Bilaspur	3.	आवेदन (एस.सी./एस.टी. सिविल जिला बिलासपुर एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड को छोड़कर)। All Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	*
4.	Additional District & Sessions Judge, I Fast Track Special Court (For exclusive hearing of cases under POCSO Act)	Sessions Division, Bilaspur	1.	All the cases under Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 triable by Special Judge (As per Notification No. 11325/3362/XXI-B/ CG/19. Raipur Dated 05-11-2019) with Connected Misc. Cr. Cases and Bail Application arising out of Police Station—Mahila Police Station, Koni, Torwa, Takhatpur, City Kotwali Bilaspur, Tarbahar, Sakri, Masturi, Ratanpur & Pachpedi. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सभी मामले विशेष न्यायाधीश (अधिसूचना क्रमांक 11325/3362/XXI-बी/सीजी/19 रायपुर दिनांक 05-11-2019 के अनुसार) द्वारा विचारणीय हैं। पुलिस थाने से उत्पन्न मामले और जमानत आवेदन— महिला थाना, कोनी, तोरवा, तखतपुर, सिटी कोतवाली बिलासपुर, तारबाहर, सकरी, मस्तूरी, रतनपुर और पचपेड़ी।	
5.	Additional District & Sessions Judge, II Fast Track Special Court (For exclusive hearing of cases under POCSO Act)	Sessions Division, Bilaspur	2.	All the cases under Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 triable by Special Judge (As per Notification No. 11325/3362/XXI-B/CG/19. Raipur Dated 05–11–2019) with Connected Misc. Cr. Cases and Bail Application arising out of Police Station—Sirgitti, G.R.P., Civil Line Bilaspur, Sarkanda, Hirri, Chakarbhatha, Bilha, Kota & Seepat. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सभी मामले विशेष न्यायाधीश (अधिसूचना क्रमांक 11325/3362/XXI-बी/सीजी/19 रायपुर दिनांक 05–11–2019 के अनुसार) द्वारा विचारणीय हैं। साथ ही विविध जमानत आवेदन जो निम्नलिखित न्यायालयों से उदभूत होंगे। पुलिस स्टेशन— सिरगिट्टी, जी.आर.पी., सिविल लाईन बिलासपुर, सरकंडा, हिर्री, चकरभाठा, बिल्हा, कोटा और सीपत से उत्पन्न मामले और जमानत आवेदन। Any other Police Station not mentioned in this distribution memo shall be put up before the 1st— F.T.S.C., Bilaspur. इस वितरण ज्ञापन में उल्लेखित नहीं किसी भी अन्य पुलिस स्टेशन को प्रथम—एफटीएससी, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।	

6.	1st Addl. District & Sessions Judge/ Special Judge (Under Prevention of Corruption Act), Bilaspur And Additional Motor Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Civil District Bilaspur (Except Jurisdictio n given to Addl. District & Sessions Judge Pendra Road)	 3. 4. 	All Sessions Trial, Criminal Appeals, Criminal Revision Misc. Criminal Cases, Bail Application as may be made over by District. & Sessions Judge, Bilaspur. सभी सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक मामले, जमानत आवेदन जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिया जावेगा। All the cases under Prevention of Corruption Act, 1988 with Connected Misc. Cr. Cases and Bail Application. (As per Notification No. 4065/1135/XXI-B/CG/2016 Raipur Dated 25-04-2016 & Registry Endt. No.3444/III-6-4/2003 Bilaspur Dated 27/04/2016). भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सभी मामले एवं विविध आपराधिक मामले और जमानत आवेदन जो इनसे संबंधित है। (अधिसूचना क्रमांक 4065/ 1135/XXI-B/ CG/2016 रायपुर दिनांक 25-04-2016 एवं रिजस्ट्री पृष्ठा. क्रमांक 3444/ III-6-4/ 2003 बिलासपुर दिनांक 27/04/2016 के अनुसार)। All the cases under Indian Electricity Act 2003 (As per Notification) with connected Misc. Cr.Cases & Bail Petitions for the area of Bilaspur Nagar Nigam. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (अधिसूचना के अनुसार) के तहत संबंधित सभी मामले विविध आपराधिक एवं जमानत आवेदन जो बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के है। All Criminal matters transferred or made over	
				जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
7.	II Addl. District & Sessions Judge, Bilaspur & Commercial (District Judge Level) (Including All Arbitration Cases) of Bilaspur & Mungeli District. And Additional Motor Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)		2.	Commercial disputes pecuniary value of more Rs. 10 lakh up to 50 lakh and all Arbitration matters of Bilaspur & Mungeli District. (Notification no. F.No. 1439/ 3830/ XXI-B/C.G./23, Naya Raipur dtd. 20th December 2023) सभी वाणिज्यिक मामले जिनका मूल्य दस लाख से पचास लाख रुपये तक हो, तथा 50 लाख रुपये तक के सभी प्रकार के मध्यस्थम् विवाद बिलासपुर एवं मुंगेली जिला से उत्पन्न्। All Civil & Criminal matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सन्न न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	

8.	III rd Addl.Distric t & Sessions Judge, Bilaspur And Additional Motor Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1. All the cases under N.D.P.S. Act, 1985 triable by Special Judge (As per Notification No. 4384/1368/XXI-B/CG/2021 Raipur Dated 07-05-2021 & Registry Endt. No. 4586/III-6-1/2001 (ptII) (NDPS)/Checker Bilaspur Dated 10/05/2021). सभी मामले एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है (अधिसूचना क्रमांक 4384/1368/XXI-B/CG/2021 रायपुर दिनांक 07-05-2021 एवं रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 4586/III-6-1/2001 के अनुसार (पं II) (एनडीपीएस)/चेकर बिलासपुर दिनांक 10/05/2021)। 2. All Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
9.	IV th Addl. District & Sessions Judge, (Additional Charge given to Labour Court, Bilaspur), Bilaspur And Additional Motor Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	1. All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
10.	V th Addl. District & Sessions Judge, Bilaspur	Sessions Division, Bilaspur Civil District Bilaspur	Vacant (रिक्त)	
11.	VI th Addl. District & Sessions Judge, Bilaspur And Additional Motor Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)	Sessions Division, Bilaspur ivil District Bilaspur	 All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सोंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। All the cases under Indian Electricity Act 2003 (As per Govt. of Chhattisgarh Notification F.No. 1641/474/XXI-B/C.G./2023, Raipur dtd. 07.02.2023) with connected Misc. Cr. Cases & Bail Petitions for Civil District Bilaspur except Bilaspur Nagar Nigam & Pendra Road area. 	

12.	VII th Addl.	· ·	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (अधिसूचना के अनुसार) के तहत संबंधित सभी विद्युत संबंधित विविध आपराधिक एवं जमानत आवेदन जो बिलासपुर नगर निगम एवं पेण्ड्रा रोड क्षेत्र को छोड़कर शेष जिला बिलासपुर से संबंधित मामले।	
	District & Sessions Judge, Bilaspur		Vacant (रिक्त)	
13.	VIII th Addl. District & Sessions Judge, Bilaspur And Additional Motor Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)		1. All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
14.	IXth Addl. District & Sessions Judge, Bilaspur		Vacant (रिक्त)	
15.	Xth Addl. District & Sessions Judge, Bilaspur & Additional Charge of Labour Court And Additional		 All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। All type of Labour matters. सभी प्रकार के श्रमिक विवाद । 	
	Motor Accident Claims Tribunal Bilaspur (C.G.)			
16.	Addl. District & Sessions Judge, Pendra	Sessions Sub Division Pendra Road	 Sessions Trial सत्र प्रकरण Criminal Appeals. आपराधिक अपीलें. 	
	Road And		3. Criminal Revisions. आपराधिक पुनरीक्षण.	

6.

- All Bail application U/s 438 and 439 Cr.P.C. सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत् सभी जमानत आवेदन के प्रकरण ।
- All Sessions Trial under Rape Cases (As per Registry Notification No. 4328/II-15-2/2012Bilaspur dated 21/06/2014) with Connected Misc. Cr. Cases and Bail application. बलात्कार के मामलों के तहत सभी सत्र प्रकरण (रजिस्ट्री अधिसूचना संख्या 4328/॥-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक 21/06/2014 के अनुसार) एवं संबंधित विविध आपराधिक मामले और जमानत आवेदन
- All the Cases as Special Court (Children Court) under Section 28 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (As per Notification 7671/2445/XXI-B/15 Raipur 07/08/15) with Connected Misc. Cr. Cases and Bail Application (except S.C./S.T. Civil District Bilaspur). यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय (बाल न्यायालय) के सभी मामले (अधिसूचना 7671/2445/XXI-बी/15 रायपुर दिनांक 07/08/15 के अनुसार) जुड़े हुए विविध आपराधिक मामले एवं जमानत आवेदन (एस.सी./एस.टी. सिविल जिला बिलासपुर को छोडकर)।
- All Civil & Criminal Matters Transferred or Made Over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
- 8. All Civil Suits above Rs.10,00,001/- to Rs.40,00,000/- in valuation with MJC's and Execution proceedings connected thereto. एमजेसी और उससे जुड़ी निष्पादन कार्यवाही के साथ मूल्यांकन में 10,00,001/- से 40,00,000/- रुपये से ऊपर के सभी सिविल मुकदमे।
- Small Cause Cases above Rs. 501/- to Rs. 1000/- in valuation with MJC & Execution cases connected thereto. छोटे मामले वाले प्रकरण 501/- रु.से 1000/- रु. तक के मूल्यांकन वाले एमजेसी और उससे जुड़े निष्पादन मामले ।
- 10. All civil Appeals and Misc. Appeals arising out of Judgment/Order of Civil Judge Class-I, Class-II, Pendra Road & Civil Judge Class II, Marwahi. सभी सिविल अपीलें और विविध सिविल अपीलें जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- ।, वर्ग- ॥, पेंड्रा रोड और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-॥, मरवाही के निर्णय/आदेश से उत्पन्न

- 11. All reference under Land Acquisition Act. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सभी संदर्भित मामलें।
- 12. All cases under Mental Health Act. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत सभी मामले।
- 13. All Cases & Appeals under Indian Succession Act 1925(Except those which have been assigned to the Civil Judge Class—I, Pendra—road under the Guardian & Wards Act) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत सभी मामले और अपीलें (उन्हें छोड़कर जिन्हें संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक पेंड्रारोड को सौंपा गया है)
- 14. All Cases under Provincial Insolvency Act, 1920. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत सभी मामले।
- 15. All Appeals U/s 31.C.G. Accommodation Control Act, 1961 आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 31.सी.जी. के तहत सभी अपीलें ।
- 16. All Motor Vehicle Accident Claims arising out from the area of Police Station Pendra, Gaurela & Marwahi.

 पुलिस स्टेशन पेंड्रा, गौरेला और मरवाही क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी मोटर वाहन दुर्घटना दावे।
- 17. All Claim cases under Fatal Accident Act 1855 (except Jurisdiction given to District Judge Bilaspur.) घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के तहत सभी दावा मामले (जिला न्यायाधीश बिलासपुर को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोडकर)।
- 18. All Matrimonial Cases under :-
 - (A) Hindu Marriage Act 1955
 - (B) Indian Christian Marriage Act
 - (C) Special Marriage Act 1954
 - (D) Divorce Act 1869
 - (E) Parsi Marriage & Divorce Act 1869.

सभी वैवाहिक मामले :-

- (ए) हिंदू विवाह अधिनियम 1955
- (बी) भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम
- (सी) विशेष विवाह अधिनियम 1954
- (डी) तलाक अधिनियम 1869
- (ई) पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1869।
- 19. All cases under Co-operative Society Act. Rs. 50,001/- to Rs.40,00,000/-

			20.	सहकारी समिति अधिनियम के तहत सभी मामलें रु. 50,001/- से रु. 40,00,000/- तक के । Any other work entrusted by the District &	
				Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।	
			21.	All Cases under the Guardian & wards Act, 1890 (Except family Court matters). अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत सभी मामले (पारिवारिक न्यायालय के मामलों को छोड़कर)।	
			22.	All Proceeding Civil & Criminal Cases connected Vacant Courts of ADJ/ASJ at Pendra-road. सिविल और आपराधिक मामले में रिक्त अपर जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड की सभी कार्यवाहियां।	
			23.	All Appeals under the C.G. Municipal Act arising out of Pendra Road and Gaurela. नगर पालिका अधिनियम छ.ग. के अंतर्गत पेंड्रा–रोड और गौरेला से उत्पन्न होने वाले सभी अपीलें।	
			24.	Special Court for trail of Cases under Indian Electricity Act 2003 (As per Notification F. No. 9636/ 2654/ XXI-B/ CG/2022, dated 29.08.2022) for area coming under the jurisdiction of the Court. न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 (अधिसूचना एफ.सं. 9636/ 2654/ XXI-B/ CG/2022, दिनांक 29.08.2022 के अनुसार) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय।	
17.	1 st CJ-I & C.J.M. Bilaspur	Bilaspur District Tahsil Bilaspur, Takhatpur, Kota,	1.	All Civil & Criminal matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
		Beltara, Masturi, Seepat, Sakri & Belgahna,	2.	All Criminal Cases Kept with him in his distribution memo with the approval of the Sessions Judge Bilaspur. सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के अनुमोदन से उनके वितरण ज्ञापन में सभी आपराधिक मामले उनके पास रखे गए हैं।	
			3.	All Cases under Economic offences which is assigned to him in notification of Hon'ble High Court. आर्थिक अपराध के तहत सभी मामले जो माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना में उन्हें सौंपे गए हैं।	

- 4. All small cause cases Rs.1/- to Rs.500/- in valuation with MJC/ Execution Cases connected thereto arising out of Bilaspur. बिलासपुर से संबंधित एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में सभी छोटे वाद मामले रु. 1/- से रु. 500/- तक।
- 6. All Co-operative Society Act cases Rs. 1/- to Rs.50,000/- only. सभी सहकारी सोसायटी अधिनियम के मामले रु. मात्र 1/- से रु. 50,000/- तक।
- 7. All appeals under the C.G. Municipality Act cognizable by the CJ-I including Takhatpur & Kota. छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत सभी अपीलें तखतपुर एवं कोटा सहित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक द्वारा संज्ञेय।
- 8. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
- 9. All Execution Cases transmitted by the Permanent Lok Adalat Bilaspur Area. स्थायी लोक अदालत बिलासपुर क्षेत्र द्वारा प्रेषित समस्त निष्पादन प्रकरण।
- 10. All Proceeding Civil Cases connected Vacant Courts of CJ-I, Bilaspur. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, बिलासपुर के रिक्त न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यवाही सिविल मामले में।
- 11. Suit under the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and specific Relief (Amendment) Act, 2018 in respect of contracts relating to infrastructure projects up to Rs. 10 Lacs.
 10 लाख रुपये तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों के संबंध में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) और विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत मुकदमा।
- 12. All Cases Under **Part- X** of the Indian Succession Act, 1925. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के तहत सभी मामले।
- 13. All Small cause cases with MJC/Execution Cases. सभी लघु वाद और एमजेसी/निष्पादन मामलें।

10	IIndCII		All 0: 1 0	
18.	IInd CJ-I & J.M.F.C. Bilaspur And Commercial Court (Civil	1.	All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
	Judge Level) (Except Arbitration cases)	2.	All Commercial disputes pecuniary value upto 10 lakh. (Except Arbitration cases) of Bilaspur District (Notification no. F.No. 1439/ 3830/ XXI-B/C.G./23, Naya Raipur dtd. 20 th December 2023) सभी प्रकार के वाणिज्यिक विवाद जो दस लाख रुपये तक के मूल्य के हो जिसमें मध्यस्थम् प्रकरण सम्मिलित नहीं है। बिलासपुर जिले के लिए।	
		3.	All Cases Under Part- X of the Indian Succession Act, 1925. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के तहत सभी मामले।	
		4.	All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
19.	III rd CJ-I & J.M.F.C. Bilaspur And Commercial Court (Civil Judge	1.	All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
	Level) (Except Arbitration cases) of Mungeli & Janjgir- Champa District.	2.	All Commercial disputes pecuniary value upto 10 lakh. (Except Arbitration cases) of Mungeli and Janjgir-Champa District (Notification no. F.No. 1439/ 3830/ XXI-B/C.G./23, Naya Raipur dtd. 20 th December 2023) सभी प्रकार के वाणिज्यिक विवाद जो दस लाख रुपये तक के मूल्य के हो जिसमें मध्यस्थम् प्रकरण सम्मिलित नहीं है। मुंगेली एवं जांजगीर-चांपा जिले के लिए।	
		3.	All Cases Under Part- X of the Indian Succession Act, 1925. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-X के तहत सभी मामले।	
		4.	All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	

20.	IV th CJ-I & J.M.F.C. Bilaspur	 All Criminal Cases assigned to him distribution memo prepared by Gallaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक वितरण ज्ञापन प्राप्तीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भितहत सभी मामले। All Civil & Criminal Matters transferred or over by the Distt. & Sessions Jailaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तं सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। 	C.J.M. किए गए मामले। Indian Iग-X के made ludge, iतरित या
21	I Addl. Judge to the Court of I CJ-I & J.M.F.C. Bilaspur	 All Criminal Cases assigned to him distribution memo prepared by Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक All Cases Under Part- X of the Succession Act, 1925. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भतहत सभी मामले। All Civil & Criminal Matters transferred or over by the Distt. & Sessions Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्त सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। 	C.J.M. किए गए मामले। Indian IIग-X के made Judge,
22	II Addl. Judge to the Court of I CJ-I & J.M.F.C. Bilaspur	 All Criminal Cases assigned to him distribution memo prepared by Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक All Cases Under Part- X of the Succession Act, 1925. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भतहत सभी मामले। All Civil & Criminal Matters transferred o over by the Distt. & Sessions Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्त सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। 	C.J.M. र किए गए मामले। Indian नाग-X के r made Judge,

23.	V th CJ-I				
20.	& Spl. Rly Magistrate, Bilaspur		2.	All Criminal Cases assigned to him in the Distribution memo. Prepared by the C.J.M. Bilaspur & the Notification of Hon'ble High Court of C.G. वितरण ज्ञापन में सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा तैयार कर उसे सौंपे गए हो एवं माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. की अधिसूचना के अनुसार। All Criminal matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
24.	CJ-I & C.J.M. Gaurela- Pendra- Marwahi	Pendra Road, Pendra, Sakola & Marwahi Tahsil	1.	All Civil & Criminal matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
			2.	All Criminal Cases Kept with him in his distribution memo with the approval of the Sessions Judge Bilaspur. सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के अनुमोदन से उनके वितरण ज्ञापन में सभी आपराधिक मामले जो उनके पास रखे गए हैं।	
			3.	All Cases under Economic offences which is assigned to him in notification of Hon'ble High Court. आर्थिक अपराध के तहत सभी मामले जो माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना में उन्हें सौंपे गए हैं।	
			4.	All Civil Suits above Rs.5,00,001/- to Rs.10,00,000/- in valuation with MJC's and Execution proceedings connected thereto arising out of Pendra Road & Marwahi Tahsil. 5,00,001/- रुपये से 10,00,000/- रुपये तक के सभी सिविल मुकदमे, एमजेसी के साथ मूल्यांकन और पेंड्रा रोड और मरवाही तहसील से उदभूत निष्पादन कार्यवाही।	
			5.	All small cause cases Rs. 201/- to Rs. 500/- in valuation with MJC/Execution Cases Connected there to arising out of Pendra Road & Marwahi Tahsil. रु. 201/- से रु.500/- तक के सभी छोटे ऐसे वाद मामले जो पेंड्रा रोड और मरवाही तहसील से जुड़े एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन हो।	
			6.	All Co-operative Society Act cases Rs. 1/- to Rs.50,000/- only. सभी सहकारी सोसायटी अधिनियम के मामले रु. मात्र 1/- से रु. 50,000/- तक।	

			7. All appeals under the C.G. Municipality Act cognizable by the CJ-I including Pendra Road & Marwahi. छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत सभी अपीलें पेंड्रा रोड एवं मरवाही सहित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक द्वारा संज्ञेय। 8. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। 9. All other civil matters which are not assigned to any other Civil Judge Class—I & II in this work distribution memo. अन्य सभी सिविल मामले जो इस कार्य वितरण ज्ञापन में किसी अन्य सिविल न्यायाधीश वर्ग—I एवं II को नहीं सौंपे गए हैं। 10. All Execution Cases transmitted by the Permanent Lok Adalat Pendra Road Area. स्थायी लोक अदालत पेंड्रा रोड क्षेत्र द्वारा प्रेषित समस्त निष्पादन प्रकरण। 11. All Cases Under Part— X of the Indian Succession Act, 1925. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग—X के तहत सभी मामले। 12. Suit under the specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and specific Relief (Amendment) Act, 2018 in respect of contracts relating to infrastructure projects up to Rs. 10 Lacs. 10 लाख रुपये तक की बुनिया वांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों के संबंध में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) और विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत मुकदमा।
25.	CJ-II & J.M.F.C. Pendra Road	Pendra Road, Pendra & Sakola	1. All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Pendra Road. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेंड्रा रोड द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले। 2. All Criminal Cases made over to him by the C.J.M. Pendra Road subject to approval of the District & Sessions Judge, Bilaspur. सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेंड्रा रोड के द्वारा उन्हें सौंपे गए, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है। 3. All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur.

			जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। 4. All Civil Suits above Rs.1/- to Rs.5,00,000/- in valuation with MJC's and Execution proceedings connected thereto arising out of Pendra Road	*
			Tahsil. पेंड्रा रोड तहसील से संबंधित एमजेसी और निष्पादन कार्यवाही के साथ मूल्यांकन में रु. 1/– से रु. 5,00,000/– तक के सभी सिविल मुकदमे।	
			5. All Small Cause Cases above Rs.1/- to Rs. 200/- in value with MJC & Execution cases Connected thereto arising out of Pendra Road. रु. 1/- से 200/- रु तक के सभी छोटे-मोटे मामले एवं संबंधित एमजेसी और निष्पादन के मामले जो पेंड्रा रोड से संबंधित हो।	
			6. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।	
26.	CJ-I & J.M.F.C. Bilha	Bilha & Bodri	1. All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
			2. All Criminal Cases made over to him by the C.J.M. Bilaspur subject to approval of the District & Sessions Judge, Bilaspur. सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है।	
			3. All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
			4. All Civil Cases above Rs.5,00,001/- to Rs.10,00,000/- in valuation with MJC and Execution proceedings connected there to. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge, Bilaspur. All Small Cause Cases above Rs.201/- to Rs.500/- in valuation with MJC/ Execution cases connected thereto. एमजेसी के साथ मूल्यांकन रु. 5,00,001/- से रु. 10,00,000/- तक और उससे जुड़ी निष्पादन कार्यवाही के	
			सभी सिविल मामले, साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	

			एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 201/- से रु. 500/- तक के सभी लघु वाद मामले।	
27.	Addl. Judge to the court of 1st CJ-II, Bilaspur at Bilha & J.M.F.C. Bilha	Bilha & Bodri	 All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले। All Criminal Cases made over to him by the C.J.M. Bilaspur subject to approval of the District & Sessions Judge, Bilaspur. सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए हो, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है। All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। All Civil Cases above Rs.1/- to Rs.5,00,000/- in valuation with MJC and Execution proceedings connected there -to. एमजेसी के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 5,00,000/- तक के सभी सिविल मामले और वहां से जुड़ी निष्पादन कार्यवाही। All Small Cause Cases above Rs.1/- to Rs.200/- in valuation with MJC/ Execution cases connected thereto. एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 200/- तक के सभी लघु वाद मामले। Any other work entrusted by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। 	
28.	I st CJ-II & J.M.F.C. Bilaspur		 All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले। All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। 	
29.	IInd CJ-II & J.M.F.C. Bilaspur		1. All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	

or made spur. -तांतरित या
n in the aspur. ार किए गए मामले।
or made spur. न्तांतरित या
n in the aspur. Iर किए गए नामले।
or made spur. तांतरित या
i in the aspur. र किए गए गमले।
aspur. र किए गए
aspur. र किए गए गामले। or made pur.

		2	2.	All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
36.	IXth CJ-II & J.M.F.C. Bilaspur	1	1.	All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
VI			2.	All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
37.	Xth CJ-II & J.M.S.C. Bilaspur	-	1.	All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
		i	2.	All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
38	I Addl. Judge to the Court of I CJ-II & J.M.F.C.		1.	All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
	Bilaspur		2.	All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
39	II Addl. Judge to the Court of I CJ-II & J.M.S.C. Bilaspur		1.	All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सोंपे गए सभी आपराधिक मामले।	
			2.	All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।	
40	III Addl. Judge to the Court of I CJ-II & J.M.S.C. Bilaspur		1.	All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।	

		जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
41 IV Addl. Judge to the Court of I CJ-II & J.M.S.C. Bilaspur		 All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले। All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा हस्तांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
42. CJ-II & J.M.F.C. Takhatpur Tak	khatpur	 All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सींपे गए सभी आपराधिक मामले। All Criminal Cases made over to him by the C.J.M. Bilaspur subject to approval of the District & Sessions Judge, Bilaspur. सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सींपे गए हो, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है। All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सींपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। All Civil Cases above Rs.1/- to Rs.5,00,000/- in valuation with MJC and Execution proceedings connected thereto. एमजेसी के साथ मूल्यांकन और उससे जुड़ी निष्पादन कार्यवाही में रु. 1/- से रु. 5,00,000/- तक के सभी सिविल मामले। All Small Cause Cases above Rs.1/- to Rs.200/- in valuation with MJC/Execution cases connected thereto. एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 200/- तक के सभी लघु वाद मामले। Any other work entrusted by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सींपा गया कोई अन्य कार्य।

43.	Civil Judge Class - II & J.M.F.C. Kota	Kota & Belgahna	 All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सोंपे गए सभी आपराधिक मामले। All Criminal Cases made over to him by the C.J.M. Bilaspur subject to approval of the District & Sessions Judge, Bilaspur. सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए हो, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है। All Civil & Criminal Matters transferred or made over 	
			by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। 4. All Civil Cases above Rs.1/- to Rs.2,50,000/- in valuation with MJC and Execution proceedings connected thereto. एमजेसी के साथ मूल्यांकन और उससे जुड़ी निष्पादन कार्यवाही में रु. 1/- से रु. 2,50,000/- तक के सभी सिविल मामले। 5. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।	
44.	II CJ - II & J.M.F.C. Kota	Kota	 All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Bilaspur. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सोंपे गए सभी आपराधिक मामले। All Criminal Cases made over to him by the C.J.M. Bilaspur subject to approval of the District & Sessions Judge, Bilaspur. सभी आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा उन्हें सौंपे गए हो, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है। All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले। All Civil Cases above Rs.2,50,001/- to Rs.5,00,000/- in valuation with MJC and Execution proceedings connected thereto. एमजेसी और उससे जुड़ी निष्पादन कार्यवाही के साथ मूल्यांकन में रु. 2,50,001/- से रु. 5,00,000/- तक के सभी सिविल मामले। 	

			5. All Small Cause Cases above Rs.1/- to Rs.200/- in valuation with MJC/ Execution cases connected there to. एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 200/- तक के सभी लघु वाद मामले। 6. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge, Bilaspur.
			जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई
45	CJ - II		अन्य कार्य। 1. All Criminal Cases assigned to him in the
45.	& J.M.F.C. Marwahi	Marwahi	1. All Criminal Cases assigned to him in the distribution memo prepared by C.J.M. Pendra Road. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेंड्रा रोड द्वारा तैयार किए गए वितरण ज्ञापन में उन्हें सौंपे गए सभी आपराधिक मामले।
			 All Criminal Cases made over to him by the C.J.M. Pendra Road subject to approval of the District & Sessions Judge, Bilaspur. सभी आपराधिक मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेंड्रा रोड द्वारा उन्हें सौंपे गए है, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अनुमोदन के अधीन है। All Civil & Criminal Matters transferred or made over by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा स्थानांतरित या सौंपे गए सभी सिविल और आपराधिक मामले।
			4. All Civil Cases above Rs.1/- to Rs.5,00,000/- in valuation with MJC and Execution proceedings connected there -to. एमजेसी के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 5,00,000/- तक के सभी सिविल मामले और वहां से जुड़ी निष्पादन कार्यवाही
			5. All Small Cause Cases above Rs.1/- to Rs.200/- in valuation with MJC/ Execution cases connected thereto. एमजेसी/निष्पादन मामलों के साथ मूल्यांकन में रु. 1/- से रु. 200/- तक के सभी लघु वाद मामले।
			6. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge, Bilaspur. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

NOTE :-

1- All Motor Accident Claims Cases arising out of one accident, pending in this Civil District, As per Law, required to be tried by a Tribunal, for these cases, office is directed to obtain information from connected tribunal / Agencies and sent those cases to that tribunal where first case was registered and pending and that tribunal shall acquire jurisdiction to try and decide all those connected cases in accordance with the provisions made in law/rules for their disposal.

एक दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले सभी मोटर दुर्घटना दावा मामले, इस सिविल जिले में लंबित हैं, विधि अनुसार, एक न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है, इन मामलों के लिए, कार्यालय को संबंधित न्यायाधिकरण/एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है और उन मामलों को वहां भेज दिया जाता है। वह न्यायाधिकरण जहां पहला मामला दर्ज किया गया था और लंबित था और उस न्यायाधिकरण को उनके निपटान के लिए कानून/नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार उन सभी संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

- 2- In absence of District and Sessions Judge all matters will be heard by the Senior Most Addl. District and Sessions Judge, of Headquarter and their absence be heard by Addl. District and Sessions Judge, as per seniority. (Not included Special Judge Atrocity, FTSC Judge) जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में समस्त मामलों की सुनवाई मुख्यालय के वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित अन्य वरिष्ठता के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जाएगी। (इसमें विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी/एफटीएससी सम्मिलित नहीं है)
- 3- On leave or vacant court of Special Judge Atrocity and N.D.P.S. the all the cases of urgent nature shall be heard and decided by the Court of Sessions Judge and on leave or vacant court of 1st Addl. Sessions Judge, all the cases of that court shall be heard & decide by the court of 2nd Addl. Sessions Judge.

 विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एवं एनडीपीएस के अवकाश पर रहने पर या रिक्त रहने पर समस्त अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य सत्र न्यायाधीश द्वारा सुना व निराकृत किया जायेगा तथा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश या पद रिक्त होने की स्थिति द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समस्त अत्यावश्यक प्रकृति कार्य सुना व निराकृत किया जायेगा।
- 4- On leave or vacant court of 1st FTSC the all the cases of urgent nature shall be heard & decided by the Court of 2nd FTSC and on leave or vacant court of 2nd FTSC the all the cases of urgent nature shall be heard & decided by the Court of 1st FTSC and in case of both the courts are on leave or vacant then all the cases of urgent nature shall be heard & decided by the Court of FTC.

 प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय के अवकाश या पद रिक्त होने की स्थिति में द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय के द्वारा और द्वितीय फास्ट ट्रेक न्यायालय के अवकाश या पद रिक्त रहने की दशा में प्रथम फास्ट ट्रेक न्यायालय द्वारा समस्त अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन किया जायेगा और यदि उक्त दोनों के पीठासीन न्यायाधीश अवकाश या न्यायालय के रिक्त होने की स्थिति पर उनके न्यायालय के समस्त अत्यावश्यक प्रकृति के द्वारा सुना व निराकृत किया जायेगा।
- 5- All cases of POCSO matter of vacant FTSC court shall be heard by the court of 1st FTSC special court and in absence of that court, matter heard by the court of 2nd FTSC special court and in case of offences regarding women shall be heard & decided by the present court of FTC.

 रिक्त फास्ट ट्रेक कोर्ट के पाक्सो से संबंधित समस्त कार्य प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट विशेष न्यायालय द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा सुना व निराकृत किया जायेगा तथा महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए वर्तमान एफटीसी कोर्ट के द्वारा सुना व निराकृत किया जायेगा।
- 6- All matters of urgent nature of any vacant court of Additional District and Sessions Judge shall be decided by the court of Additional District and Sessions Judge, in sequence to the bottom, in the district headquarter.

 रिक्त न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के समस्त अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य उक्त न्यायालय के नीचे के न्यायालय द्वारा क्रमानुसार निष्पादित किए जायेंगे।
- 7- all matters of urgent nature of any vacant Civil Judge court shall be decided by the court of available next senior Civil Judge of district court. (Including all outstation courts)

किसी भी व्यवहार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने पर या पद रिक्त हो जाने पर उनके न्यायालय के समस्त अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य उनसे ठीक वरिष्ट उपलब्ध न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा। (समस्त बाह्य न्यायालय सहित)

- 8- All Successive/repeat bail application in pending cases shall be placed by the trial court. If earlier bail application of accused heard & decided in remand stage then all successive bail application shall be placed before the same court. समस्त उत्तरवर्ती या पुनः प्रस्तुत जमानत आवेदन लंबित प्रकरणों में विचारण न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किया जायेगा । यदि प्रथम जमानत आवेदन को रिमाण्ड स्तर पर किसी न्यायाधीश द्वारा सुना और निराकृत किया गया हो तो उत्तरवर्ती या पुनः प्रस्तुत जमानत आवेदन उसे न्यायाधीश द्वारा सुना और निराकृत किया जायेगा ।
- 9- The concerned Link Judicial officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 3 day from the date of Joining of the presiding officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the Official Witnesses and in case of the Link Judicial officer is on leave, in his absence, nominated the Judicial officers for the same which are mentioned below, the same procedure shall be applicable in the Criminal cases too. (As per Registry memo no. 1475/ D&A/2023, Bilaspur Date: 08/11/2023). संबंधित लिंक न्यायिक अधिकारी न केवल उस अदालत के अत्यावश्यक मामलों की सनवाई करेगा, बल्कि यदि संभव हो तो उन मामलों की भी सुनवाई करेगा जिनमें गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने आए हैं, और यदि संभव नहीं है तो उन्हें बाध्य किया जाएगा और अगली तारीख दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 दिन के अंदर उस अदालत की न्यायिक डायरी पर विचार करते हुए सरकारी गवाहों को छोडकर अन्य गवाहों को बाध्य किया जाए और लिंक न्यायिक अधिकारी के छूट्टी पर होने की स्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में, न्यायिक अधिकारियों को नामित किया जाए वहीं जो उल्लेखित है, यही प्रक्रिया आपराधिक मामलों में भी लागू होगी। (रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 1475/ डी एंड ए/2023, बिलासपुर दिनांक: 08/11/2023 के अनुसार)।
- 10-During long vacation (summer or winter vacations), action plan cases such as civil, criminal and execution cases pending for more than five years and action plan cases such as motor accidents claim cases will be heard by the presiding Officer of the concerned court.

 लंबी छुट्टियों (गर्मी या सर्दी की छुट्टियों) के दौरान पांच साल से अधिक समय से लंबित सिविल, आपराधिक और निष्पादन मामलों जैसे कार्य योजना मामलों और मोटर दुर्घटना दावा मामलों जैसे कार्य योजना मामलों की सुनवाई संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- 11-When the presiding officer of the concerned court is on long leave (summer or winter vacation), the action plan cases pending in his court, such as civil, criminal and execution cases pending for more than five years and action plan cases such as motor accidents claim cases will be heard by other concerned presiding Officer / nominated Link Judicial officer. (As per registry memo no. 15520/D&A/2023 Bilaspur, dated 29/11/2023) जब संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी लंबी छुट्टी (ग्रीष्म या शीतकालीन अवकाश) पर हो, तो उसके न्यायालय में लंबित कार्य योजना से संबंधित सभी मामले, जैसे कि पांच साल से अधिक समय से लंबित दीवानी, आपराधिक और निष्पादन के मामले एवं मोटर दुर्घटना आदि के मामलों में कार्य विभाजन अनुसार सुनवाई अन्य संबंधित पीठासीन अधिकारी/नामित लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी। (रजिस्ट्री मेमो क्रमांक 15520/डी एंड ए/2023 बिलासपूर, दिनांक 29/11/2023 के अनुसार)
- 12- On the leave or vacant of the court Commercial Court (Civil Judge Level)/II Civil Judge-I, Bilaspur, the urgent nature of work of that court shall be executed by the court of Commercial Court (Civil Judge Level)/III Civil Judge-I, Bilaspur and on the leave or vacant of the court Commercial Court (Civil Judge Level)/III Civil Judge-I, Bilaspur, the urgent

nature of work of that court shall be executed by the court of Commercial Court (Civil Judge Level)/II Civil Judge-I, Bilaspur and in case the both the courts are leave or vacant then the urgent nature works shall be heard/executed by the court of senior most Civil Judge Class-I, Bilaspur.

वाणिज्यिक न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश स्तर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश् वर्ग -1 के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति मे तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन किया जायेगा और वाणिज्यिक न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश् वर्ग -1 के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन किया जायेगा और दोनों न्यायाधीश के अवकाश रहने की स्थिति में वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

- 13-On the leave or vacant of Commercial Court (District Judge Level)/II Addl. District and Sessions Judge, Bilaspur, the urgent nature work of that court shall be executed by the court of senior most Additional District & Sessions Judge, Bilaspur, available in District Headquarter.
 - वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर)/द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अवकाश पर या रिक्त होने पर मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन किया जायेगा।
- 14-On the leave or vacant of Court of Civil Judge Class-I at outstation Court Pendra-road and Bilha, the urgent nature work of that court shall be executed by the court of senior most Civil Judge, Class-I, Bilaspur, available in District Headquarter and on the leave or vacant of Court of Civil Judge Class-II at outstation Court Pendra-road and Marwahi, the urgent nature work of that court shall be executed by the court of Civil Judge, Class-I, Pendra-

बाह्य न्यायालय **पेण्डारोड** एवं बिल्हा के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में लंबित अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन जिला मुख्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वारा किया जायेगा तथा बाह्य न्यायालय पेण्ड्रारोड एवं मरवाही के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में लंबित अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन **पेण्डारोड** के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।

- 15-On the leave or vacant of Court of Civil Judge Class-II at outstation Court Bilha, the urgent nature work of that court shall be executed by the court of Civil Judge, Class-I, Bilha. बाह्य न्यायालय बिल्हा के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में लंबित अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन बिल्हा के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।
- 16-On the leave or vacant of one of the Courts of Civil Judge Class-II at outstation Court Kota, the urgent nature work of that court shall be executed by the court of another Civil Judge, बाह्य न्यायालय **कोटा** के दोनों व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 में से एक के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति में

उनके न्यायालय में लंबित अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन दूसरे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।

17-On the leave or vacant of Court of Civil Judge Class-II at outstation Court Takhatpur, the urgent nature work of that court shall be executed by the court of senior most Civil Judge, Class-II, Bilaspur headquarter.

बाह्य न्यायालय **तखतपुर** के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में लंबित अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन बिलासपुर मुख्यालय के वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।

18- On the leave or vacant of Court of Civil Judge Class-I & II at all the outstation Courts, the urgent nature works of those courts shall be executed by the court of senior most Civil Judge, Class-I & II of District headquarter Bilaspur.

समस्त बाह्य न्यायालयों में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं 2 के अवकाश या रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालयों में लंबित अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य का निष्पादन बिलासपुर मुख्यालय के वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं 2 के न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।

15-All works for which no provision is made in this memo shall be presented before District and Sessions Judge, Bilaspur for order which may heard and decide or transfer as per their convenience.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह किसी भी मामले, आवेदन या याचिका पर विधि एवं प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर सकेंगे या सुनवाई के लिए अंतरित कर सकेंगे।

(Note:— Seniority list annexed with this work distribution) (टीप:— वरिष्ठता सूची इस कार्य विभाजन के साथ संलग्न है।)

Sal/—
(Ramashankar Prasad)
District & Sessions Judge,
Bilaspur (C.G.)

Endt. No. 11-11-1/2003

Bilaspur, Dated: 27/12/ 2023.

Copy To :-

- 1- PS to Hon'ble Portfolio Judge, High Court of Chhattisgarh.
- 2- Registrar General, High Court of Chhattisgarh,
- 3- Addl. District & Sessions Judge, Pendra-Road.
- 4- I/II/III/IV/V/VI/VIII/X Addl. Dist. & Sessions Judge, Bilaspur.
- 5 Addl. District & Sessions Judge (Atrocity) / Addl. Spl. Judge (F.T.C.)
 Bilaspur.
- 6- Addl. District & Sessions Judge, I/II Fast Track Special Court,
 Bilaspur
- 7 Commercial Court, Raipur (for entire State of Chhattisgarh)
- 8- I/II/III/IV Civil Judge Class-I, Bilaspur.
- 9- Special Railway Magistrate, Bilaspur.
- 10- Juvenile Justice Board, Bilaspur
- 11- Addl. Judge to the Court of Ist CJ-I, Bilaspur
- 12- Civil Judge Class-I, Pendra Road/Bilha.
- 13- I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/Xth Civil Judge Class-II, Bilaspur
- 14- | Addl. Judge to the Court of Ist CJ-II, Bilaspur
- 13- Civil Judge Class-II, Pendraroad/Kota/Takhatpur/Marwahi.

- 15- Addl. Judge to the Court of Ist CJ-II, Bilaspur at Bilha.
- 16- Administrative Officer/ Dy. Clerk of Court, Office of the District & Sessions Judge, Bilaspur.
- 17- Reader to Court of District & Sessions Judge, Bilaspur/ Janjgir-Champa/ Korba/ Mungeli.
- Reader to District Collector/Superintendent of Police, Bilaspur/ Janjgir-Champa/ Korba/ Mungeli/Pendra-road.
- 19- The President, Bar Association, Bilaspur/Pendraroad/Bilha/Kota/Takhatpur/Marwahi.
- 20- Court Manager, Office of the District & Sessions Judge, Bilaspur.
- 21- Registrar, Central Filing, Office of the District & Sessions Judge, Bilaspur.
- 22- Assistant Programmer, District Court Bilaspur with a direction to upload this order in the official web-side of this District Court.

(Ramashankar Prasad)
District & Sessions Judge,
Bilaspur (C.G.)

N.	Name of Judicial Officer	Ramark
	ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS COURT BILASPUR	
1	Shri Sunil Kumar Jaiswal, 1 st ADJ, Bilaspur	
2	Shri Santosh Kumar Mahobiya, 2 nd ADJ, Bilaspur	
3	Shri Sumit Kapoor, 3 rd ADJ, Bilaspur	
4	Ku. Pushplata Markande, 4 th ADJ, Bilaspur	
5	Shri Ashok Kumar Lal, 6 th ADJ, Bilaspur	
6	Shri Prashant Kumar Shivhare, 8 th ADJ, Bilaspur	
7	Shri Avinash Kumar Tripathi, 10 th ADJ, Bilaspur	
	PENDRA ROAD	
1	Smt. Kiran Thawait, ADJ, Pendra Road	
	MAGISTRATE COURT BILASPUR	
1	Shri Manish Kumar Dubey, 1st CJ-I/CJM, Bilaspur	
2	Smt. Manisha Thakur, 2 nd CJ-I, Bilaspur	
3	Shri Nixion Deved Lakra, 3 rd CJ-I, Bilaspur	
4	Ku. Rajeshwari Suryawanshi, 4 th CJ-I, Bilaspur	
5	Shri Pawan Agrawal, 5 th CJ-I/Special Railway Magistrate, Bilaspur	
6	Dr. Sumit Kumar Soni, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Bilaspur	
7	Shri Girish Pal Singh, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Bilaspur	
8	Ku. Shweta Goswami, 1st CJ-II, Bilaspur	
9	Smt. Kanchan Lata Achala, 2 nd CJ-II, Bilaspur	
10	Ku. Prerna Ahire, 3 rd CJ-II, Bilaspur	
11	Shri Anshul Verma, 4 th CJ-II, Bilaspur	
12	5th CJ-II Bilaspur	
13	Ku. Ruchita Agrawal, 6 th CJ-II, Bilaspur	
14	7th CJ-II	
15	Shri Paarth Dubey, 8 th CJ-II, Bilaspur	
6	Ku. Ankita Kashyap, 9 th CJ-II, Bilaspur	
7	Shri Ashish Chandahe, 10 th CJ-II, Bilaspur	
8	Ku. Aishwarya Diwan, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur	
9	Ku. Shoaa Mansoor, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur	
20	Ku. Shweta Awasthi, III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur	
21	Ku. Kanchi Agrawal, IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur	
	MAGISTRATE COURT PENDRA-ROAD	
1	Smt. Ekta Agrawal, CJ-I/CJM, Pendra Road	
2	Shri Rahul Kumar, CJ-II, Pendra Road	
	MAGISTRATE COURT MARWAHI	
1	Shri Narendra Kumar Tendulkar, CJ-II, Marwahi	
	MAGISTRATE COURT BILHA	
1	Ku, Subhada Goyal, CJ-I, Bilha	
2	Shri Parth Tiwari, Addl. Judge to the Court of 1st CJ-II, Bilha	
	MAGISTRATE COURT KOTA	
1	Shri Vivek Kerketta, 1st CJ-II, Kota	
2	Smt. Kalpana Bhagat, 2 nd CJ-II, Kota	
	MAGISTRATE COURT TAKHATPUR	

District & Sessions Judge BILASPUR (C.G.)